



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

30 अग्रहायण, 1944 (श०)

संख्या - 603 राँची, बुधवार,

21 दिसम्बर, 2022 (ई०)

उद्योग विभाग

अधिसूचना

19 दिसम्बर, 2022

विषय: Jharkhand Textile, Apparel & Footwear Policy-2016 की प्रभावी तिथि 19.09.2022 से नई नीति अधिसूचित होने तक अथवा दिनांक 18.09.2023 तक जो भी पहले हो तक अवधि विस्तार के संबंध में ।

संख्या-06/उ०नि०/विविध(टेक्सटाईल नीति)-15/2021-1395--उद्योग विभाग के ज्ञाप सं० 3081, दिनांक 19.09.2016 के द्वारा Jharkhand Textile Apparel & Footwear Policy-2016 की लागू की गयी है, जिसकी प्रभावी तिथि, दिनांक 18.09.2021 तक थी। इस नीति को दिनांक 19.09.2021 से नई नीति के अधिसूचित तिथि अथवा दिनांक 18.09.2022 तक जो भी पहले हो, उद्योग विभाग के ज्ञाप सं० 1272 दिनांक 20.12.2021 द्वारा विस्तारित किया गया था ।

झारखण्ड में वस्त्र उद्योग एवं फूटवेयर उद्योग को प्रोत्साहन एवं समर्थन देने के उद्देश्य से दिनांक 01.12.2022 के मद संख्या 10 में मंत्रिपरिषद् के बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में Jharkhand Textile Apparel & Footwear Policy-2016 की प्रभावी तिथि को दिनांक 19.09.2022 से नई Textile, Apparel Policy के अधिसूचित तिथि अथवा 18.09.2023 तक (जो भी पहले हो) तक विस्तारित की जाती है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

सरकार के प्रधान सचिव
उद्योग विभाग ।
